कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

Email Id:- nh43exen@rediffmail.com

ज्ञापन क्रमांक 488 /शिल्प/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 01 /03/2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
बलरामपुर वनमण्डल,
जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)

विषय :– बलरामपुर जिले के बलरामपुर तथा सरगुजा जिले के दक्षिण सरगुजा (सरगुजा) वनमण्डल अंतर्गत वनसंरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Widening of existing road from Ambikapur to Ramanujganj 2 lane/4 lane National Highway 343, in the State of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 102.324 हे. बाबत्।
(पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/147299/2021)

संदर्भ :– **1.** अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंधक/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक भू–प्रबंध/विविध/एल.एम.–115–845/283 रायपुर, दिनांक 08.02.2023
2. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/651, बलरामपुर दिनांक 22.02.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से बलरामपुर जिले के बलरामपुर तथा सरगुजा जिले के दक्षिण सरगुजा (सरगुजा) वनमण्डल अंतर्गत वनसंरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Widening of existing road from Ambikapur to Ramanujganj 2 lane/4 lane National Highway 343, in the State of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 102.324 हे. के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव के अंतर्गत चाही गई अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है :–

बिन्दु क्र.	चाही गई जानकारी	प्रतिपूरक उत्तर
बिन्दु क्रं. 1	प्रस्ताव के पृष्ठ 16 में सरगुजा वनमंडल अंतर्गत पूर्व में प्रस्तावित तथा नवीन प्रस्तावित वन भूमि का विवरण दिया गया है। उक्त विवरण में लेख है कि, सड़क निर्माण हेतु पूर्व के प्रस्तावित 3.893 हे. राजस्व वन भूमि में से गृह निर्माण संभाग अम्बिकापुर को 1.747 हे. आबंटित किया गया है। उक्त संबंध में कृपया स्पष्ट करें कि, 1.747 हे. राजस्व वनभूमि जो गृह निर्माण मंडल को आबंटित किया गया है, वह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति पश्चात् हस्तांतरित किया गया है अथवा नहीं। कृपया दस्तावेजों सहित विस्तृत विवरण प्रेषित करें।	बिन्दु क्र.1 में उल्लेखित 1.747 हे. भूमि के संबंध में यह कथन है कि, उक्त भूमि **राजस्व–शासकीय भूमि** है। उक्त राजस्व–शासकीय भूमि ग्राम संजयनगर के खसरा क्र. 426, 425, 429, 430/1, 431/1, 386 एवं 384 का कुल रकबा 1.747 हे. है। उक्त राजस्व शासकीय भूमि के बी–1 अभिलेख की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। यह शासकीय भूमि गृह निर्माण मण्डल संभाग अम्बिकापुर को आवासीय प्रयोजन हेतु आबंटित किया गया है। ग्राम संजयनगर की उपरोक्त भूमि राजस्व भूमि होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू नहीं होता है।

बिन्दु क्रं. 2	प्रस्ताव के पृष्ठ 17 एवं 18 व्यवस्थित वनक्षेत्र विवरण की गणना करने पर बलरामपुर का आवेदित वन क्षेत्र 86.559 हे. दर्शित हो रहा है जबकि अन्यत्र प्रस्ताव में 86.558 हे. वनभूमि आवेदित है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	आवेदित वनक्षेत्र विवरण में बलरामपुर वनमण्डल के कक्ष क्र.पी.3420 का रकबा टकण त्रुटिवश 3.977 हे. अंकित हुआ था। जबकि कक्ष क्र. पी.3420 का वास्तविक आवेदित रकबा 3.976 हे. है। बलरामपुर वनक्षेत्र के कुल आवेदित रकबा 86.558 हे. में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है।
बिन्दु क्रं. 3	प्रस्ताव के पृष्ठ 81 से 86 में वर्णित Cost Benefit Analysis में गणना विधिवत नहीं की गई है। इसमें Cost Benefit का विवरण तथा इसकी गणना सम्मिलित नहीं है।	Cost Benefit का विवरण तथा इसकी गणना कर संलग्न है।
बिन्दु क्रं. 4	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 121 तथा संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 21 में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु लेख किया गया है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28. 06.2022 के आधार पर प्रस्तावित कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजना भारत सरकार से संबंद्ध होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण दोगुने बिगड़े वनक्षेत्र में प्रस्तावित किया जा सकता है तथा इस हेतु मुख्य सचिव के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 में उक्तानुसार छूट का प्रावधान नहीं है। कृपया विस्तृत टीप सहित स्थिति स्पष्ट करें।	मुख्य सचिव छ.ग. शासन द्वारा गैर वनभूमि अनुउपलब्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।
बिन्दु क्रं. 5	विषयांकित प्रस्ताव लीनियर होने के फलस्वरूप तीन विकल्पों में न्यूनतम प्रभाव संबंधी मानचित्र में चिंहाकन सहित विस्तृत विवरण प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के लिनियर प्रस्ताव के फलस्वरूप वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में न्यूनतम प्रभावित वन भूमि का ही विकल्प चयन किया गया है। इस हेतु 3 विकल्पों सहित न्यूनतम प्रभाव संबंधित मानचीत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दूओं पर वांछित जानकारी आपकी आवश्यक संलग्नक सहित सादर प्रेषित है।

सहपत्र :— उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग,
संभाग—अम्बिकापुर (छ.ग.)

पृष्ठा. क्रमांक 489 /शिल्प/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 01 /03/2023

प्रतिलिपि :–

1. **अपर प्रधान**, मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वनसंरक्षण अधिनियम 1980 छ.ग. रायपुर को अवलोकनार्थ सम्प्रेषित।
2. **मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा,** वनवृत अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. **मुख्य अभियंता**, लो.नि.वि. रा.रा. परिक्षेत्र रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. **क्षेत्रीय अधिकारी**, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एन.एच.कैम्पस पेंशन बाड़ा, रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. **वनमण्डलाधिकारी**, सरगुजा वनमंडल जिला सरगुजा (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहपत्र :– शून्य।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग,
संभाग–अम्बिकापुर (छ.ग.)